इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019—वैशाख 27, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्रमांक एफ ए 3–23/2017/1/पांच (36) भोपाल, दिनांक 17/05/2019

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-23/2017/1/पांच (50) दिनांक 30 जून, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 7 के अधीन यथा विहित कर की रकम का विकल्प ले सकेगा :

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्र. एफ. ए-3-23-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-23-2017-1-पांच (36), दिनांक 17 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

No. F-A-3-23-2017-1-V(36) Bhopal, the 17th May 2019

In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act),and in supersession of this department notification No. F A 3-23/2017/1/FIVE (50) dated the 30th June, 2017, except as things done or omitted to be done before such supersession, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9 of the said Act, an amount of tax as prescribed under rule 7 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017:

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.